**भारतीय जीवन बीमा निगम, जबलपुर-मण्डल**

 **\*\* नियम व शर्तें \*\***

* प्रस्तुत दरें परिवहन व्यय सहित (शाखा कार्यालय तक पहुँचाकर) प्रस्तुत करें।
* सामग्री की दर प्रति इकाई (GST रहित) प्रस्तुत की जाएँ। प्रस्तुत दर पर GST अतिरिक्त देय होगा।
* निविदा में निगमिक पहचान कार्यक्रम (CIP) का पालन करते हुए नमूने (Sample) सहित दरें प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बगैर नमूनों के अथवा वांछित गुणवत्ता से निम्न स्तर के नमूनों की निविदाएँ स्वीकार नहीं की जाएंगी।
* सामग्री आपूर्ति के पश्चात किसी भी समय यह ज्ञात होता है कि आपूर्ति की गई सामग्री वांछित गुणवत्ता व निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं है अथवा निम्न गुणवत्ता की है तो ऐसे माल की आपूर्ति का आदेश वेंडर की कीमत पर निरस्त किया जा सकता है। इस दौरान यदि निम्न गुणवत्ता के माल का उपयोग हो जाता है तो भा.जी.बी.नि. उसकी कीमत वहन नहीं करेगी।
* निविदाकर्ता *(MSME* को छोड़कर )को Rs.12000.00 EMD के रूप में भा.जी.बी.नि. के पक्ष में माँग-पत्र (Demand Draft) के माध्यम से निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।
* चयनित फर्म को माल आपूर्ति की राशि का 10% सुरक्षा निधि जमा करना होगा जो अनुबंध अवधि समाप्ती के उपरांत बिना ब्याज के वापस किया जाएगा।
* प्रस्तुत दरें 6 माह तथा स्वीकृत दरें 1 वर्ष अथवा सूचिबद्धता अवधि की वैद्धता तक मान्य होगी। सक्षम अधिकारी द्वारा आपसी सहमति से दरें विस्तारित की जा सकेंगी।
* निविदा स्वीकृत होने के बाद सामग्री की गुणवत्ता, मात्रा, दर इत्यादि में परिवर्तन संभव नहीं होगा।
* निविदा आमंत्रित एवं निरस्त करने का अधिकार वरिष्ठ मण्डल प्रबंधक के पास सुरक्षित है। भारतीय जीवन बीमा निगम इस संविदा कि शर्तों में आंशिक अथवा पूर्णतः परिवर्तन का अधिकार रखता है।
* परिचय-पत्र निर्माण संबंधी सभी कार्य (यथा: कार्यादेश,अभिकर्ता की वांछित जानकारी प्रेषण,आर्टवर्क की जाँच (Proof Reading) व स्वीकृति एवं बिल भुगतान) संबन्धित शाखा द्वारा किया जाएगा। बिल संबन्धित शाखा के नाम पर ही जारी करें।
* आर्टवर्क जाँच व स्वीकृति के बाद ही माल तैयार करें और संबन्धित शाखा को आपूर्ति करें।
* निविदा से सम्बंधित किसी भी विवाद की स्थिति में इसे जबलपुर मण्डल की परिधि में मानते हुए निराकरण जबलपुर मण्डल के सक्षम न्यायलय के क्षेत्राधिकार में किया जाएगा।
* सामग्री की गुणवत्ता कम होने या विलंब से आपूर्ति करने पर सक्षम अधिकारी द्वारा निम्नानुसार शास्ति (Penalty) आरोपित की जा सकती है।

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| गुणवत्ता कम होने पर अंतर (प्रतिशत) | विलंब अवधि | शास्ति (क्रय मूल्य पर) |
| 3 प्रतिशत तक | 1 सप्ताह | निरंक |
| 3 प्रतिशत से 4 प्रतिशत तक | 1-2 सप्ताह | 2 प्रतिशत |
| 4 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक | 2-3 सप्ताह | 3 प्रतिशत |
| 5 प्रतिशत से 6 प्रतिशत तक | 3-4 सप्ताह | 5 प्रतिशत |

* 6% से अधिक –गुणवत्ता परिवर्तन होने पर दिया गया आपूर्ति आदेश निरस्त किया जा सकता है।
* इस निविदा के समस्त नियम व शर्तें मैंने पढ़ एवं समझ लिए हैं। निविदांतर्गत समस्त नियम व शर्तें मुझे स्वीकार हैं।

दिनाँक:-

स्थान:- हस्ताक्षर एवं मुद्रा